प्रेस विज्ञप्ति

24/12/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोझीकोड सब जोनल कार्यालय ने कन्नूर शहरी निधि (केयूएन) में हुई धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के संबंध में 23.12.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20.13 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्ककिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में अचल संपत्तियां, आरोपी व्यक्तियों/निधि कंपनी के प्रमोटरों से जुड़े फर्मों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खाते शामिल हैं।

जांच के दौरान, यह पता चला है कि एंटनी सनी, शौकथली एम एम और गफूर के एम मेसर्स केयूएन के प्रमोटर थे। कंपनी ने कन्नूर और पड़ोसी जिलों में जमा पर 12% से 12.5% ब्याज की पेशकश के साथ विभिन्न जमा योजनाओं का प्रचार किया। आरोपियों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर निवेशकों को अधिक रिटर्न देने के नाम पर धोखा दिया और करीब 40 करोड़ रुपये का गबन किया, जिसकी जांच के दौरान अपराध की आय (पीओसी) के रूप में पहचान की गई है। **इस मामले में आरोपियों ने निवेशकों को ठगने के इरादे से केयूएन के माध्यम से धन एकत्र किया। केयूएन में निधि कंपनी के दिशानिर्देशों का जानबूझकर पालन नहीं किया गया। धन की आसान पहुंच हेतु केयूएन कंपनी ने एक अन्य कंपनी** मेसर्स एनीटाइम मनी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना के लिए शामिल किया गया था, क्योंकि आरोपी व्यक्तियों को बैंक से ऋण नहीं मिल सका था। इसके अलावा, एंटनी सनी, शौकथली एमएम, गफूर केएम और एंटनी सनी और गफूर केएम से जुड़ी फर्मों/कंपनियों के व्यक्तिगत बैंक खातों में भी धन हस्तांतरित किया गया था, जहां से धन का उपयोग उनके व्यक्तिगत/व्यावसायिक खर्चों, ऋण किस्तों के भुगतान आदि के लिए किया गया था।

इस मामले में पहले आरोपी व्यक्तियों के आवासों और कार्यालय परिसरों में तलाशी ली गई थी, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे और बैंक खातों को फ्रीज कर

दिया गया था। इसके अलावा, तत्काल मामले में मुख्य आरोपी यानी एंटनी सनी, शौकथली एमएम और गफूर केएम को 27.11.2024 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।